न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —41/2019

अनवान : —

1. प्रमोद कुमार पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. रामचंद्र पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. कांता पत्नी रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. माया उर्फ मायावती पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. वंदना पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादीगण**
श्री विक्रम शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 30/01/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 18 एएमएस के खाता सं0 36/39 के मु0 न0 27 के किला न0 16/1, 17/1, 24, 25 मु0 न0 28 के किला न0 19/1, 20/1, 21 व 22 मु0 न0 32 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6, 15 कुल 3.795है0 व चक 15 एएमएस खाता सं0 54/50 के मु0 न0 49 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3, 10 मु0 न0 62 किला न0 5 कुल 3.366है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा काशीराम की खातेदारी हुआ करती थी। काशीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामचंद्र के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी रामचंद्र कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रामचंद्र अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामचंद्र के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी प्रमोद पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी वादभूमि चक 18 एएमएस संवत 2072–75 प्रदर्श 1, व जमाबंदी चक 15 एएमएस संवत 2072–75 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 15 एएमएस संवत 2031 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 18एएमएस संवत 2046 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेडा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में चक 18 एएमएस के खाता सं0 36/39 के मु0 न0 27 के किला न0 16/1, 17/1, 24, 25 मु0 न0 28 के किला न0 19/1, 20/1, 21 व 22 मु0 न0 32 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6, 15 कुल 3.795है0 व चक 15 एएमएस खाता सं0 54/50 के मु0 न0 49 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3, 10 मु0 न0 62 किला न0 5 कुल 3.366है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। उसमें अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 18 एएमएस के खाता सं0 36/39 के मु0 न0 27 के किला न0 16/1, 17/1, 24, 25 मु0 न0 28 के किला न0 19/1, 20/1, 21 व 22 मु0 न0 32 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6, 15 कुल 3.795है0 व चक 15 एएमएस खाता सं0 54/50 के मु0 न0 49 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3, 10 मु0 न0 62 किला न0 5 कुल 3.366है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादभूमि में से प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के द्वारा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज०)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —41/2019

अनवान : —

1. प्रमोद कुमार पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. रामचंद्र पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. कांता पत्नी रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. सुनीता पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. माया उर्फ मायावती पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. वंदना पुत्री रामचंद्र जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण मुशीराम गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 18 एएमएस के खाता सं0 36/39 के मु0 न0 27 के किला न0 16/1, 17/1, 24, 25 मु0 न0 28 के किला न0 19/1, 20/1, 21 व 22 मु0 न0 32 के किला न0 1, 2, 9 ता 12 मु0 न0 33 के किला न0 5, 6, 15 कुल 3.795है0 व चक 15 एएमएस खाता सं0 54/50 के मु0 न0 49 के किला न0 6 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, मु0 न0 61 के किला न0 1 ता 3, 10 मु0 न0 62 किला न0 5 कुल 3.366है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामचंद्र के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादभूमि में से प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के द्वारा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:23:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: